

न्यायालय:द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,गोहद जिला भिण्ड(म.प्र.)
(समक्ष: एच.के. कौशिक)

दाण्डिक अपील क.-63/2017

संस्थित दिनांक 01.07.2017

श्रीमती संगीता पुत्री कलियान सिंह पत्नी केशव सिंह
यादव आयु 28 साल निवासी दतिया रोड स्योढ़ा
जिला दतिया म0प्र0

.....**अपीलार्थी**

वि रू द्ध

1. कैलाश यादव पुत्र गंगा सिंह यादव आयु 54 वर्ष,
2. श्रीमती विमला पत्नी कैलाश यादव आयु 50 वर्ष,
3. केशव सिंह पुत्र कैलाश यादव आयु 30 वर्ष,
4. गीतम यादव पुत्र कैलाश यादव आयु 24 वर्ष,
5. नीलू उर्फ मातबर पुत्र कैलाश यादव आयु 22 वर्ष,
निवासीगण ग्राम मघन थाना मौ परगना गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

6. म0प्र0 शासन द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड
म0प्र0

.....**प्रतिअपीलार्थीगण**

अपीलार्थी द्वारा अधिवक्ता श्री विजय श्रीवास्तव ।

प्रतिअपीलार्थीगण द्वारा अधिवक्ता श्री बी0एस0 यादव ।

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री भगवान सिंह बघेल ।

// निर्णय //

(आज दिनांक 16.05.2018 को घोषित किया गया)

1. फरियादी श्रीमती संगीता की ओर से यह अपील न्यायालय श्री पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड के द्वारा मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 85/14 उनवान राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ बनाम कैलाश यादव एवं अन्य में घोषित निर्णय दिनांक 01.06.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जिसके तहत प्रतिअपीलार्थीगण को धारा-323/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया है।
2. अभियोजन के अनुसार दिनांक 24.10.13 को शाम लगभग 04:00 बजे

फरियादी संगीता की ससुराल स्थित ग्राम मघन में अभियुक्तगण द्वारा फरियादी संगीता से दहेज की मांग कर उसके साथ कूरतापूर्ण व्यवहार करने, उसकी मारपीट करने की लिखित रिपोर्ट फरियादी संगीता द्वारा दिनांक 24.10.13 को थाना मौ पर किये जाने पर, थाना मौ द्वारा फरियादिया के उक्त आवेदन की जांच कर दिनांक 25.10.13 को अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 245/13 अंतर्गत धारा-498ए एवं 323 सहपठित 34 भा0दं0सं0 पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान फरियादिया संगीता की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया गया, अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। फरियादिया संगीता साक्षी कल्यान, वीरेन्द्र, बलराम एवं शीला के कथन लेखबद्ध किए गए। बाद अनुसंधान विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोगपत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. विचारण न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेने के पश्चात अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-498ए एवं 323/34 भा0दं0सं0 के तहत आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अपराध करना अस्वीकार किया गया। जिसके कारण मामले का विचारण किया गया तथा उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण केशव सिंह, नीलू उर्फ मातवर, श्रीमती विमला, कैलाश यादव एवं गीतम यादव को धारा-323/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया। उक्त दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध फरियादी संगीता की ओर से यह अपील पेश की गई है तथा यह निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार कर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय एवं दोषमुक्ति के आदेश दिनांक 01.06.2017 को अपास्त किया जावे तथा प्रतिअपीलार्थीगण को धारा-323/34 भा0दं0सं0 के तहत दोषसिद्ध करते हुए उन्हें दण्डित किया जावे।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अध्ययन किया गया। जिससे इस अपील के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार है :-

“क्या आलोच्य निर्णय एवं दण्डादेश विधि एवं तथ्यों के अनुरूप न होकर हस्तक्षेप योग्य है ?”

::-सकारण निष्कर्ष-::

5. फरियादी संगीता अ0सा0-1 के कथन अनुसार उसका अभियुक्त केशव से 20 जून 2010 को विवाह हुआ था तथा अभियुक्तगण कैलाश, विमला उसके सास-ससुर और गीतम व नीलू उसके देवर हैं। फरियादी का यह भी कहना है कि अभियुक्तगण विवाह उपरांत से ही दहेज में मोटर सायकिल की मांग कर उसे प्रताड़ित करते रहे तथा 20 अक्टूबर 2013 की सायं लगभग 4:00 बजे दहेज में मोटर सायकिल की मांग करते हुए उसको धक्का मारकर घर से निकाल दिया था जिसकी सूचना उसने भाई वीरेन्द्र को फोन पर दी थी जिस पर उसका भाई वीरेन्द्र, कुलदीप व बलराम के साथ उसकी ससुराल वालों/अभियुक्तगण को समझाने आये थे किन्तु उनके द्वारा न मानने पर घटना के संबंध में प्रदर्श पी-1 का आवेदन दिया था जिसका समर्थन करते हुए निहाल सिंह अ0सा0-7 का कहना है कि दिनांक 25.10.2013 को थाना मौ में प्रधान आरक्षक मोहिरिर रहते हुए उसने फरियादी संगीता द्वारा दिये गये आवेदन पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 245/13 अंतर्गत धारा 323, 498ए सहपठित 34 भा0दं0सं0 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 लेखबद्ध की थी।
6. यद्यपि फरियादी संगीता ने उसके मुख्य परीक्षण में सभी अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट किया जाना प्रकट किया है और पुलिस द्वारा उसका मेडिकल कराया जाना भी बताया है। इस संबंध में चिकित्सक साक्षी डॉ0 आर.विमलेश अ0सा0-5 ने व्यक्त किया है कि दिनांक 25-07-13 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ में फरियादी संगीता पत्नी केशवसिंह के चिकित्सीय परीक्षण के दौरान आहत द्वारा वांयी जांघ, वांये घुटने, छाती में वांयी ओर तथा दाहिने कंधे पर दर्द की शिकायत बतायी गयी थी। इस संबंध में उसका मेडिकल प्रतिवेदन प्रदर्श पी-3 है, किन्तु साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उक्त दर्द की शिकायत किसी बीमारी अथवा गिरने-पड़ने से भी आना संभावित है। फरियादी के शरीर पर चिकित्सक द्वारा कोई बाह्य चोट नहीं पायी गयी है। अतः ऐसी स्थिति में पांच अभियुक्तगण द्वारा उसे मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।
7. इस प्रकार विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रत्यर्थीगण के द्वारा

अपीलार्थी/फरियादी संगीता की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति पहुंचाने, के अपराध के आरोप से दोषमुक्त करके कोई त्रुटि कारित नहीं की है। उक्त दोषमुक्ति का निर्णय एवं आदेश किसी वैधानिक त्रुटि से ग्रसित होना प्रकट नहीं होता है। इस कारण विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभियुक्त गण को भा0दं0सं0 की धारा 323 सहपठित 34 के आरोप से दोषमुक्ति किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए अपील निरस्त की जाती है।

8. प्रत्यर्थागण के जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

9. निर्णय की प्रति के साथ विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित ।

सही/—
(एच.के.कौशिक)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

सही/—
(एच.के. कौशिक)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)